फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बालेसर

ओमप्रकाश पुत्र दीपचन्द **बनाम** नारायणलाल पुत्र जसराज वगैराह

किस्म मुकदमा 212 राज. का. अधि. 1955 मुकदमा नम्बर 27/20 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
09.06.2020	प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के सलंग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि पदमाराम पुत्र माधाराम द्वारा निम्न वादग्रस्त भूमि में से 03 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम से जरिये वसीयतनामा से हासिल हुई थी। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड की स्थिति में परिवर्तन करने पर उतारू है जिससे रोका नही गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के हिस्से में सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 09.07.2020 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित भूमि मोजा मनोहरसिंहनगर तहसील बालेसर जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 1158 रकबा 06.02 बीघा में से 03 बीघा भूमि में ~~अप्रार्थीगण~~ उभयपक्ष किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप कारित नही करे तथा न ही भूमि का विशिष्ठ भू–भाग दर्शाकर बैचान, हस्तान्तरण एवं निर्माण कार्य करें। आगामी पेशी तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त स्थगन आदेश आगामी पेशी तक मान्य होगा। प्रार्थी अधिवक्ता अप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जरिये रजिस्टर ए.डी. से प्रेषित करें। पत्रावली दिनांक 09.07.2020 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बालेसर	CA उपखण्ड अधिकारी बालेसर
9/7/20	पत्रावली प्रस्तुत हुई । कोवि[illegible] (कोरोना वायरस) के कारण राज्य सरकार [illegible] सम्पूर्ण राजस्थान में लॉकडाउन लागू किया गया है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार इलतवा होकर दिनांक 13/8/20 को पेश हो	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.06.06 12:35:12 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
23/4/24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/[illegible]/राजकीय दौरे पर है। पत्रावली [illegible] दिनांक......28/5/24...... को पेश हो। [signature]	
28/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उप0। मूलवाद जरिये डिक्री निस्तारित किया जा चुका है मूलवाद के अभाव में पत्रावली सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। न्यायालय द्वारा की आदेशिका दिनांक 9/6/20 के द्वारा [illegible] के द्वारा नम्बर 1158 पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.06.06 12:35:12 IST
Reason: SelfAttested